प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,**
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2014–15 / 04 / दिनांकः 17/3/15

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय हेतु पी0ओ0एल0 की धनराशि एवं दिशानिर्देश के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2014–15 / 04 / 4219–75–9 दिनांक 22.12.2014 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। जिसमें मण्डल स्तरीय अधिकारियों को निश्चित कार्यभार देते हुये अनुश्रवण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा माह में मण्डल के अधीन जनपदों में कम से कम 8 भ्रमण अवश्य किये जाने है। मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा प्रत्येक भ्रमण में निम्न विवरणानुसार इकाईयों का भ्रमण किया जाना है।

- 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– एफ.आर.यू. प्रति विजिट अथवा
- 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– एफ.आर.यू. एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति विजिट अथवा
- 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 स्वास्थ्य उपकेन्द्र / आउटरीच गतिविधियां जैसे– नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का सत्यापन।

उपरोक्त के क्रम में मण्डलीय अपर निदेशक के शासकीय वाहन हेतु पी0ओ0एल0 मद में माह में 8 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण संपादित करने हेतु रू0 20,000 प्रति माह की दर से आगामी तीन माह हेतु संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या– **A.10.8.1 Vehicles for Divisional / AD Office** हेतु पी0ओ0एल0 की धनराशि कुल **रु0 10.80 लाख (रु0 दस लाख अस्सी हजार मात्र)** धनराशि अवमुक्त की जा रही है। समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चत करें।

मण्डलीय अपर निदेशक जनपदीय भ्रमण में राज्य द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2014–15 / 04 / 6002-18-8 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

Officer-MIS
Saxena
19.03.15

2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मण्डलीय मुख्यालय जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि मण्डल स्तर हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि को तत्काल सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक को उपलब्ध करा दें जिससे कि उनके द्वारा अविलम्ब सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रारम्भ किया जा सके।
6. समस्त महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/3/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक